

पत्रांक –यूपीएए/8/1-94/9-2015
दिनांक-08.09.2015

सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गठित किए जाने वाले कार्यदल के सम्बन्ध में।

मा0 महोदय,

हमारे प्रगतिशील प्रदेश के समक्ष अपने मौजूदा 13 नगरों में जीवन स्तर सुधारने हेतु एक अवसर स्मार्ट सिटी योजना के रूप में आया है। इस हेतु निर्गत शासनादेश सं0 4774/नौ-5-15-179 सा /2015 दिनांक- 25.07.2015 के अंतर्गत प्रत्येक चयनित नगर में एक स्थानीय कार्यदल का गठन किया जाना है।

उक्त क्रम में हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, कि उ0 प्र0 आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन एक प्रदेश स्तरीय वास्तुविदों का संगठन है तथा चयनित शहरों में इसकी इकाइयां कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि आर्कीटेक्ट व्यवसाय बहुआयामी होने के कारण नगर नियोजन के विभिन्न पहलुओं से भी भली भांति परिचित होता है।

अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं, कि उक्त कार्यदल में उस नगर में स्थित प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले वास्तुविदों में से एक को कार्यदल में सम्मिलित करने से उस शहर की समस्याओं की तकनीकी प्रस्तुति प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगी। आर्कीटेक्ट के उस शहर का स्थाई निवासी होने के कारण यह कार्य और अधिक दक्षता से हो सकेगा।

अतः इस आशय का यदि कोई निर्देश सभी संबंधित नगरों के नगर आयुक्तों को जारी हो सके तो यह पूरी प्रक्रिया के लिए अत्यन्त लाभकारी होगा। सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन भी सभी नगरों के लिए आर्कीटेक्ट सदस्यों के नाम सहर्ष उपलब्ध करा सकती है।

हमें आशा है कि आपका ध्यान इस ओर अवश्य ही आकर्षक होगा।

सधन्यवाद।

भवदीय,

राजीव कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष
उ0 प्र0 आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन